रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273473
CG-DL-E-15062026-273473

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948
No. 429] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2026

सा.का.नि. 480(अ).— केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (पायनियर), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (पायनियर), समूह 'क' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (पायनियर), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2021 की अनुसूची में, स्तंभ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''पदोन्नति द्वारा:

वेतन मैट्रिक्स (₹ 44900-142400) में स्तर-7 के भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (पायनियर) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और निर्धारित पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

टिप्पण 2: ऐसे निरीक्षक (पायनियर), जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (पायनियर), समूह 'क' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, उनकी पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा होगी। ''।

[फा. सं. I-12011/01/2019- संगठन (खण्ड-II)]

पी.एस. डंगवाल, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 16 जून, 2021 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 414(अ), तारीख 27 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2026

G.S.R. 480(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Pioneer), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Pioneer), Group 'A' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Pioneer), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021, in the Schedule, in column (11), for the entries, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion:

From amongst Inspector (Pioneer) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with five years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training or course.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The eligibility condition for promotion of Inspector (Pioneer) who are holding the post on regular basis, on or before the date of commencement of the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Pioneer), Group 'A' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2026, shall be three years of regular service in the grade.".

[F. No. I-12011/01/2019-Org (Vol-II)]

P. S. DANGWAL, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th June, 2021, *vide* notification number G.S.R. 414(E), dated 27th May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA